दिल्ली विधान सभा कार्य सूची

शुक्रवार, 25 सितम्बर, 1998/आश्विन 03, 1920 १ शक १ अपराहन 2.00 बजे

1 प्रशन

पृथक सूची में दिये गये प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

- 2. सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले पत्र
 श्री राजेन्द्र गुप्ता, विधायी कार्य मंत्री निम्नलिखित अधिनियमों की प्रति सदन पटल पर रखेंगे :-
- १८१ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली सरकार के मंत्रियों के१वेतन एवं भत्ते१ १संशोधन१ अधिनियम,1998१1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या-7१.
- प्रस्ताव
- §क् । श्री राजेन्द्र गुप्ता, विधायी कार्य मंत्री ः डा∙प•के•वालिया ः

निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"िक यह सदन दिनांक 24 सितम्बर, 1998 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

∛स ्रेशी राम भजः श्री वासदेव कप्तानः

निम्नलिबित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"िक यह सदन दिनांक 24 सितम्बर, 1998 को सदन में प्रस्तुत गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी सिमिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

§ॅग ्रंग श्री राजेन्द्र गुप्ता ः श्री दीप चन्द बन्धु ः

निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :-

"िक यह सदन दिनांक 24 सितम्बर, 1998 को सदन में प्रस्तुत मॉडल टाउन, दिल्ली में स्थिति बहुमंजिलें भवन "च्यवन ऋषि अपार्टमेंट्स" के विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु गठित सिमिति के प्रतिवेदन से सहमत है।"

निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंग :-

"िक यह सदन दिनांक 24 सितम्बर, 1998 को सदन में प्रस्तुत विधायक निधि समय पर जारी करने संबंधी प्रक्रिया के सरलीकरण संबंधी सिमिति के प्रतिवेदन से सहमत है।"

4. सर्लारी/गांव सभा की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में विधायकों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने संबंधी सीमित के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

> श्री मुरारी सिंह पवार : श्री दीप चन्द बन्धु :

सरकारी / गांव सभा की भूमि पर अतिकृमण के संबंध में विधायकों से प्राप्त शिकायतों की जांच करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

आश्वासन समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

श्री दीप चन्द बन्धु : श्री मेवा राम आर्य :

आश्वासन समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

- 6 विशेष उत्लेस १ नियम 287 १ सदस्यों दारा पृथक सूची में दिये गये मामलों का उल्लेख किया जायेगा ।
- गैर संकारी सदस्यों के संकल्प
- §क्

 श्री जीत राम सोलंकी ः

 श्री राजेन्द्र गुप्ता ः

निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगै:-

"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में मुख्य मंत्री के प्रयास से अनिधकृत कालोनियों में हाई कोर्ट ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये आदेश दिये हैं, उन सुविधाओं को सरकार दारा तुस्नत प्रदान किया जाये।"

१ॅंख १ श्री देवेन्द्र सिंह :

श्री आलोक कुमार :

निम्निलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में पुनर्वास बस्तियों की देख-रेख
के लिये तथा उनमें मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये दिल्ली
सरकार के अधीन अलग से एक स्वतंत्र निकाय बनाया जाये ।"

श्री मुरारी सिंह पवार :
श्री देवेन्द्र सिंह :

निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली पुलिस विभाग को दिल्ली सरकार के अन्तर्गत तुरन्त लाया जाए ।"

विधायी कार्य

8· प्रो जगदीश मुली, वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 19·3·1997 को यथाप्रतिवेदित दिल्ली विलासिता कर्र्असंशोधन विषेयक, 1996 पर विचार किया जाये।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाये ।

9· डा हर्षवर्द्धन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् विषेयक,1998 है 1998 का विधेयक संस्था-7 एर विचार किया जाये।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाये ।

10 श्री राजेन्द्र गुप्ता, विधायी कार्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के सदस्यों का १ वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि १ १ दूसरा संशोधन १ विधेयक, 1998 १ 1998 का विधेयक संख्या- 8 श को पुरःस्थापित करने की अनुमति मागेंगे।

विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये एवं इसे पारित

पी • एन • गुप्ता सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

LIST OF PUSINESS

Friday, September 25, 1998/Ashvana 03, 1920 (Saka)

2.00 P.M.

1. QUESTIONS

Questions as entered in separate list to be asked and answers given.

2. PAPERS LAID ON THE TABLE OFF THE HOUSE

Shri Rajendra Cupta, Minister of Law, Justice & Legislative Affairsto lay on the table of the House a copy each of the following Acts:

- The members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) (Amendment) Act, 1998.
- ii) The Ministers of the Government of the National Capital Teritory of Delhi (Salaries and Allowances) (Amendment Act, 1998.

3. MOTIONS

(a) Shri Rajendra Cupta (Minister of Legislative Affairs):

Dr. A.K. Walia:

to move the following motion:

"that this House agrees to the Eighteenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th September, 1998."

(b) Shri Ram Bhaj: Shri Vasdev Kaptan:

to move the following motion:

"that this House agrees to the Fifteenth Report of Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on 24th September, 1998."

(c) Shri Rajendra Gupta: Shri Deep Chand Banchu:

to move the following motion:

"that this House agrees to the Report of the Committee to probe into the coming up of a Multi-storeyed Building called 'Chavan Rishi Apartments' presented to the House on 24th September, 1998."

(d) Shri Nand Kishore Carg: Shri Rajesh Sharma:

to move the following Motion:

"that this House agrees to the Report of the Committee on simplification of procedure for timely release of MLAs' Fund presented to the House on 24th Sepember, 1998."

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE TO INQUIRE INTO THE COMPLAINTS RECEIVED FROM MLAS REGARDING ENCROACHMENT ON GOVERNMENT/GAON SABHA LAND.

Shri Murari Singh Panwar : Shri Deep Chand Bandhu:

to present to the House the Report of the Committee to inquire into the complaints received from MLAs regarding encroachment on Government/Gaon Sabha Land.

5. PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON ASSURANCES

Shri Deep Chand Bandhu: Shri Mewa Pam Arya:

to present to the House the Third Report of the Committee on Assurances.

6. SPECIAL MENTIONS (RULE-287)

Matters to be raised by Members as entered in separate list.

7. PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

(a) Shri Jeet Ram Solanki: Shri Rajendra Cupta:

to move the following resolution :-

"This House recommends that the Civic amenities, which have been ordered by the Fon'ble Delhi High Court, with the efforts made by the Chief Minister, may be provided to the unauthorised colonies immediately."

(b) Shri Devender Singh: Shri Alok Kumar:

to move the following resolution:-

"This House recommends that an independent authority be constituted under the Delhi Government for proper up-keep and providing basic amenities to the re-settlement colonies in Delhi."

(c) Shri M.S. Panwar: Shri Devender Singh:

to move the following resolution :-

"This House recommends that Delhi Development Authority and Delhi police be placed under the Delhi Government."

LEGISLATIVE BUSINESS

8. Prof. Jagdish Mukhi, Minister to move that the 'Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Bill, 1996'. as reported by the Select Committee on 19.3.1997 be taken into consideration.

ALSO to move that the Bill be passed.

9. Dr. Harsh Varchan, Minister for Health & Education to move that the 'Delhi Bhartiya Chikitsa Parishad Bill, 1998 (Bill No. 7 of 1998) be taken into consideration.

ALSO to rove that the Bill be passed.

10. Shri Rajendra Cupta, Minister of Law, Justice & Legislative Affairs to move for leave to introduce 'The Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension, etc.) (Second Amendment) Bill, 1998 (Bill No. 8 of 1998).

ALSO to introduce the Bill.

ALSO to move that the Bill be considered and passed.